

**Title: Regarding misuse of the national emblem the Ashok Chakra on liquor bottles in Chattisgarh.**

श्री पी.आर.खूटे (सारंगढ) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक गंभीर मसले की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पिछले पांच दिनों से मैं शून्यकाल में प्रश्न लगाता रहा हूँ। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे प्रश्न को गंभीरता से लिया और मुझे बोलने का मौका दिया है।

हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक चक्र, सत्यमेव जयते का भयंकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में नियमावली भी बनी है कि अशोक चक्र का किस प्रकार से उपयोग किया जाए और इसके सम्मान को कैसे बरकरार रखा जाए। नवगठित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने बराबर नीलामी में असफलता अर्जित होने के बाद राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का एक लेबल बनवाया और शराब की बोतल में वह लेबल लगा कर बेचा जो देश के लिए घोर अपमान और शर्म की बात है। जब शराब की शीशी खोली जाती है तो उसके ढक्कन को पैर से रोंदा जाता है और नाली में फेंका जाता है। यह देश के सम्मान के साथ घोर खिलवाड़ है। â€œ(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत बात कह रहे हैं।

श्री पी.आर.खूटे : मेरी भारत सरकार से मांग है कि ऐसे मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और दोगी लोगों के विरुद्ध जांच करके कानूनी कार्रवाई की जाए।

श्री लक्ष्मण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बात कह रहे हैं। इसलिए इसे सदन की कार्यवाही से निकाला जाए। â€œ(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: जो भी बात ऑब्जेक्शनेबल होगी, उसे एक्सपंज किया जाएगा।